न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 39 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भवरलाल पुत्र कानाराम जाति घाची निवासी पावटी का बास सोजत सिटी	1	सीता देवी पत्नी देवाराम
	2	राजकुमार पुत्र देवाराम
	3	पुनमचन्द पुत्र देवाराम
	4	सुशीला पुत्री देवाराम
	5	शोभा पुत्री देवाराम
	6	कमला पुत्री देवाराम माली निवासीगण बेरा राजबाग, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली
	7	धनाराम पुत्र रामा
	8	पारसमल पुत्र रामा जाति माली निवासी बेरा राजबाग सोजत सिटी तहसील सोजत जिलापाली
	9	कालूराम पुत्र केसाराम
	10	सम्पतराज पुत्र कालूराम जातियान माली निवासीगण बेरा राजबाग सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली
	11	राज0 तहसीलदार भूमि धारी सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री महेन्द्र चौधरी रवीन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 28/3/24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि निम्नानुसार स्थित है–

1 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.0750 हैक्टर, 2 अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706 / 1 रकबा 0.0750 है, अप्रार्थी संख्या 07 से 09 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706 / 1 रकबा 0.0750 हैक्टर, अप्राथी संख्या 09 से 12 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1706 / 06 रकबा 0.0750 हैक्टर । उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के बंटवाडा से पूर्व खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.3000 हैक्टर था। उक्त कृषि भूमि का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सभी खातेदारान के बीच उपरोक्तानुसार आपस में बंटवाडा किया गया है। उक्त कृषि भूमि के बंटवाडे केसमय माप चौक कर पैमाईश नही की गई थी। सभी खातेदारान के बीच उक्त कृषि भूमि में माठे लगाई गई है, लेकिन पैमाइश नही होने से उक्त माठो को लेकर एवं कृषि भूमि खातेदारान के पास मेंकम या ज्यादा होने की आशंका होने से खातेदारान के पास में कम या ज्यादा होने की आशंका होने से खातेदारान के बीच हमेशा मम मुटाव होता रहता है, जिसके कारण आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच खेतों के माठों की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के सीमांकल एवं पैमाईश हेतु तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। लेकिन सभी खातेदारान की सहमती नही बनने से सही पैमाईश नही हो सकी । प्रार्थी के हिसे की कृषि भूमि के दक्षिणी तरफ नन्दा आई हुई स्थित है जिस वजह से सही पैमाईश नही हो सकी, इसलिए पत्थर गड्डी के जरिये मुडाम लगाया जाकर पैमाईश करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत ह। पक्षकारो के मध्य माठ को लेकर वाद विवाद होता रहता है। इसलिए पर संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का सीमांकन करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिससे पक्षकारों ने बीच सही माठ कायम हो सके एवं भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद नही हो यदि सीमांकन नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1706, 1706/1, 1706/2, 1706/3 का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थर गढी के जरिये मुटाम लगवाया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर अनुपस्थित रहने से दिनांक 20.03.2024 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण 7/1 से 7/4 व 11 का नाम दिनांक 20.03.2024 को तर्क किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण हर समय प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी कर विवाद करते रहते है तथा तमाम खातेदारान के मध्य मौके पर झगड़ा विवाद होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहती है, प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार मौखिक रूप से वादस्थ भूमियों का आपसी सहमति से सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन अप्रार्थीगण मानने को तैयार नही हुए, और प्रार्थीगण को आये दिन उनके हक हिस्से की भूमि व कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी कर विवाद रहते रहते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर विवाद होने व अप्रार्थीगण खातेदारान सहमत नही होने से सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्ढी नही करवायी जा सकी। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के मौके पर कदीमी रूप से चले आ रहे आवागमन के रास्ते के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा अवरोध कारित कर प्रार्थीगण की भूमि में से फसल को नुकसान कारित कर नाजायज रूप से रास्ता निकलने को को आमदा है जिससे मौके पर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी की जाकर मुटाम कायम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रार्थिया पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर मुटाम लगवाये जाना उचित समझते हैं।

–आदेश–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण खातेदारी कृषि खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.0750 हैक्टर, 2 खसरा नम्बर 1706/1 रकबा 0.0750 है, खसरा नम्बर 1706/1 रकबा 0.0750 हैक्टर, खसरा नम्बर 1706/06 रकबा 0.0750 हैक्टर । कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी संबन्धित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/03/19 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)